

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- निसंशि/संस्था-2(क,ख)/स्थानान्तरण/2016/2515-20 दिनांक :- 3/2/2017

:: सशोधित आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 37892-905 दिनांक 20.10.2016, 38429-68 दिनांक 20.10.2016, 38396-420 दिनांक 20.10.2016, 39789-91 दिनांक 22.10.2016, 39794-96 दिनांक 22.10.2016, 39797-99 दिनांक 22.10.2016, एवं 40646-671 दिनांक 25.10.2016 द्वारा प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका/प्राध्यापको/प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय के स्थानान्तरण किये गये थे। उपर्युक्त आदेशों में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) की आज्ञा क्रमांक पं.प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट जयपुर, दिनांक 13.12.2016 के क्रम में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. प्रशासनिक आधार अथवा राज्यहित में किये गये स्थानान्तरण आदेश (चाहे उक्त आधारों का अंकन आलोच्य आदेशों में किया गया है या नहीं) वाले समस्त प्रकरणों में राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम, 1981 नियम 4(1) के प्रावधानों के अनुसार कार्यग्रहण काल अनुज्ञय होगा।
2. प्रशासनिक आधार अथवा राज्यहित का उल्लेख नहीं किये जाने वाले स्थानान्तरण / पदस्थापन प्रकरणों में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा एवं राज्य हित में किये गये स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल दिये जाने के संबंध में वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी निर्देश परिपत्र संख्या F.7 (3) FD (Rules)/ 98 dated 2.8.2005 & F.12(6)FD (Rules) /05 dated 21.08.2007 के अनुसार देय होगा।

(विमल कुमार जैन)

IAS


निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- निसंशि/संस्था-2(क,ख)/स्थानान्तरण/2016/ 2515-20 दिनांक :- 31/2/17

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संभागीय अधिकारी।
2. संबंधित प्रधानाचार्य,सकुल प्रभारी,प्रधानाध्यापक,प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, राजस्थान।
3. संबंधित कार्मिक।
4. व्यक्तिगत पंजिका/रक्षित पत्रावली।


(बहादुर सिंह गुर्जर)

सहायक निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार